

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1.1.2012 की अर्हता तिथि के मान से फोटो निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 5.1.2012 को किया जा चुका है। 1.1.2012 की अर्हता तिथि के मान से 18 वर्ष पूर्ण होने तथा निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से छूटे मतदाता निरन्तर प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन प्ररूप-6 में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) अथवा तहसीलदार को उनके कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आवेदन ई रजिस्ट्रेशन सुविधा के तहत इस कार्यालय की वेबसाईट [www.ceomadhyapradesh.nic.in](http://www.ceomadhyapradesh.nic.in) पर की भी करें जा सकते हैं। अतः निरन्तर अद्यतन के दौरान 1.1.2012 की अर्हता तिथि में आधार पर नाम जोड़ने, संशोधन एवं निरसन की निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (SDM)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार) को आगामी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करें।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

मध्यप्रदेश

क्रमांक 01/2012/3/1351

भोपाल, दिनांक 25-2-2012

प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, जनसम्पर्क, म.प्र. को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित समाचार के रूप में स्थानीय समाचार के प्रकाशनार्थ।
- 2 केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, श्यामला हिल्स, भोपाल को समाचार के रूप में प्रसारनार्थ।
- 3 केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा सागर को प्रसारनार्थ।
- 4 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करें।

(आर.बी. राठौर)

सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

मध्यप्रदेश